निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या 187/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, शाखा कार्यालय–यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाड़िया टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. धीरज कुमार भावसर पुत्र श्री विनोद कुमार भावसर,
   निवासी–प्लाट नम्बर 101, हनुमान वाटिका, नियर सेली बेरी भोरो के मोहल्ला, जेसीसी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान एवं कार्यालय पता–एयू फाईनेंसर, रिद्धी–सिद्धी, गुर्जर की थड़ी, गोपालपुरा, जयपुर, राजस्थान एवं पता–प्लाट नम्बर 91, खसरा नम्बर 599 का भाग, तिरूपति नगर, डिग्गी रोड़, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।
2. विनोद कुमार पुत्र श्री केसरी लाल
   निवासी–प्लाट नम्बर 101, हनुमान वाटिका, नियर सेली बेरी भोरो के मोहल्ला, जेसीसी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान एवं पता–प्लाट नम्बर 91, खसरा नम्बर 599 का भाग, तिरूपति नगर, डिग्गी रोड़, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।
3. श्रीमती मंजू देवी (छीपा) पत्नी श्री विनोद कुमार
   निवासी–प्लाट नम्बर 101, हनुमान वाटिका, नियर सेली बेरी भोरो के मोहल्ला, जेसीसी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान एवं पता–प्लाट नम्बर 91, खसरा नम्बर 599 का भाग, तिरूपति नगर, डिग्गी रोड़, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act,2002.

उपस्थित–

1.श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 06.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.04.2017 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्रीमती मंजू छीपा पत्नी श्री विनोद कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 91, खसरा नम्बर 599 का भाग, तिरूपति नगर, डिग्गी–मालपुरा रोड़ के पास, ग्राम हरमुण की नांगल उर्फ चारणवाला, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 126.66

जयपुर

वर्गगज को बन्धक रख कर 5,13,049/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26/12/2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियां को सूचना पत्र जारी किये गये।अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्जावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18, दिसम्बर, 2015 कम संख्या 23 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 5,13,049/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 3,62,168/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 26/12/2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम

के धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाये जाने का मामला प्रस्तुत है।

2. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मंजू छीपा पत्नी श्री [illegible] के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 31, खसरा नम्बर 599 का भाग, [illegible] नगर, [illegible] रोड के पास, ग्राम [illegible] की नांगल उर्फ चारणवाला, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान [illegible] सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा [illegible] पुलिस [illegible] दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

3. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को [illegible] सम्बन्धित [illegible] को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

आदेश की प्रति [illegible] जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश [illegible] दिनांक 06.12.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

6/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर